प्रेस नोट दिनांकल 02.05.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना हथिगवां-

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में-

बाल अपचारी को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत पुरनेमऊ चौराहे के पास से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

प्रतापगढ़।

दिनांक-30.04.2025 को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पुरनेमऊ वादी के भाई व भाभी को आरोपीगणों द्वारा मारपीट कर घायल करने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 79 / 2025 धारा 115 (2), 352, 109 बीएनएस बनाम 03 नामजद अभियुक्तों का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना हथिगवां प्रभारी निरीक्षक श्री नन्दलाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 विवेक पाण्डेय मय हमराह कां0 विजय कुमार, का0 संदीप द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना हथिगवां के मु0अ0सं0 79 / 2025 धारा 115 (2), 352, 109 बीएनएस से संबंधित 02 बाल अपचारी को थाना हथिगवां क्षेत्रांतर्गत पुरनेमऊ चौराहे के पास से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पुलिस टीम-

उ0नि0 विवेक पाण्डेय बाहमराह कां0 विजय कुमार, का0 संदीप थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर-

मोटर साइकिल चोरी करने वाले 03 शातिर अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पुलिस की गिरफ्त में-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र के नया माल गोदाम रोड रेलवे फाटक के पास से अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

चोरी की 01 मोटर साइकिल बजाज सीटी, 01 मोटरसाइकिल इंजन, 03 बोरे में चोरी की 03 मोटरसाइकिल के पुर्जे व 01 ग्राइण्डर बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह के मार्ग दर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम/ अंकुश लगाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री जय चन्द्र भारती के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय

हमराह उ0नि0 शमशेर आलम, कां० प्रदीप यादव, का0 विलास यादव, का0 मो0 आरिफ, का० आलोक रंजन द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मूखबिर की सूचना पर 03 अभियुक्तों, 1. जितेन्द्र कुमार उर्फ सरगम पुत्र महिपाल उर्फ जग्गा नि0 ग्रा0 बढ़नी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़, 2. धर्म प्रकाश पुत्र राम लौटन नि0 अजगरा रानीगंज थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़, 3. याश मोहम्मद उर्फ भुअर पुत्र शब्बीर नि0 ग्रा0 सेतापुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को चोरी की 01 मोटर साइकिल बजाज सीटी, 01 मोटरसाइकिल इंजन, 03 बोरे में चोरी की 03 मोटरसाइकिल के पुर्जे व 01 ग्राइण्डर के साथ थानाक्षेत्र के नया माल गोदाम रोड रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 192/2025 धारा 303(2),317(2),317(4),319(2),338,336 (3), 112 बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि यह मोटर साइकिल चोरी की है इसको हम लोगो ने काफी दिन पहले चोरी किया था स्थान याद नही है। हम लोगों द्वारा इसके चेचिस नम्बर के कुछ अंको को छेड़छाड़ कर घिस दिया है तथा नम्बर प्लेट फर्जी लगा कर इस्तेमाल में ला रहे है। हम दोनो तथा याश मोहम्मद उर्फ भुअर पुत्र शब्बीर नि0 ग्रा0 सेतापुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ का एकसंगठित गिरोह है। हम दोनों जनपद सुल्तानपुर व जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न जगहों से मोटर साइकिल चुराते है, और उसे तुरन्त याश मोहम्मद उर्फ भुअर उपरोक्त को दे देते है। याश मोहम्मद उर्फ भुअर हम दोनों द्वारा चोरी की गयी मोटर साइकिलों के सभी पुर्जो को खोलकर व काटकर अलग अलग कर देता है और फिर हम दोनों लोग धीरे धीरे करके उन अलग अलग पुर्जो को चलते फिरते लोगों / कबाड़ी को बेच देते है। चोरी की गयी मोटर साइकिलों को बेचने से जो रुपये मिलते है उसे हम लोग आपस में बराबर बराबर बांट कर अपना जीवकोपार्जन व शौक पूरा करते है। यह कार्य हम तीनो लोग संगठित रुप से एकराय होकर करते है। इसी क्रम में यह मोटर साइकिल इंजन हम दोनों बेचने जा रहे थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. जितेन्द्र कुमार उर्फ सरगम पुत्र महिपाल उर्फ जग्गा नि0 ग्रा0 बढ़नी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
2. धर्म प्रकाश पुत्र राम लौटन नि0 अजगरा रानीगंज थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
3. याश मोहम्मद उर्फ भुअर पुत्र शब्बीर नि0 ग्रा0 सेतापुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटर साइकिल बजाज सीटी, 01 मोटरसाइकिल इंजन, 03 बोरे में चोरी की 03 मोटरसाइकिल के पुर्जे व 01 ग्राइण्डर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह उ0नि0 शमशेर आलम, कां० प्रदीप यादव, का0 विलास यादव, का0 मो0 आरिफ, का० आलोक रंजन थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात-

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
दुष्कर्म के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त को क्षेत्रान्तर्गत के बड़ा पुरवा प्राथमिक विद्यालय के पास विक्रमपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।
वादिनी की बहन के साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म करने के संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में अन्तर्गत धारा 64/351 (2) बीएनएस व » पाक्सो अधिनियम बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली देहात श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 राकेश कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 शत्रुजंय शर्मा, का0 अफजाल अहमद द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 64/351 (2) बीएनएस व » पाक्सो अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त अनिल कुमार सरोज उर्फ कुल्लू पुत्र बाबूलाल सरोज निवासी पूरे घीसा रेंडवीर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत बड़ा पुरवा प्राथमिक विद्यालय के पास विक्रमपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अनिल कुमार सरोज उर्फ कुल्लू पुत्र बाबूलाल सरोज निवासी पूरे घीसा रेंडवीर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 राकेश कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 शत्रुजंय शर्मा, का0 अफजाल अहमद थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डाॅ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन
लूट के अभियोग से संबंधित लूट की 01 मोटर साइकिल अपाचे के साथ 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार
थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्तों को सुखपाल नगर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण-
दिनांक- 11/04/2025 को वादी का लड़का मोटर साइकिल से घर जा रहा था। आरोपीगणों द्वारा वादी को खूंटाघाट पुल के पास मारने पीटने लगे व मोटर साइकिल लूट कर फरार हो गये थे। जिसके संबंध में वादी की

तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 81/ 25 धारा 309 (6) बीएनएस बनाम 02 व्यक्ति नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी । इसी क्रम में आज दिनांक 02.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली देहात श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 अखिलेश प्रताप मय हमराह उ0नि0 मृत्युंजय पांडेय, आरक्षी आशुतोष तिवारी, आरक्षी किशन पाल, आरक्षी विश्वदीप, मुख्य आरक्षी संजय भारती, आरक्षी धनंजय सिंह, आरक्षी कृष्णकांत द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात के मु0अ0सं0 81/ 25 धारा 309 (6) बीएनएस से संबंधित 1. दिलशाद पुत्र मोहर अली निवासी ग्राम हंडोर पूरे नाहर थाना लीलापुर प्रतापगढ़, 2. आदिल पुत्र हाफिज ग्राम मुस्तफा खां थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को लूट की 01 मोटर साइकिल अपाचे के साथ थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत सुखपाल नगर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी / बरामदगी के आधार पर धारा 317(2)/3 (5) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग आपस में दोस्त है। दिनांक 11/04/25 को शाम के समय हम लोग खुटाघाट पुल के पास छुपकर बैठ गए तथा महताब थोड़ी दूर पर अपने मोबाइल फोन से बात करने लगा तथा वीरेंद्र कुमार के आने का इंतजार करने लगा जैसे ही वीरेंद्र कुमार खुटाघाट पुल के पास पहुंचा तभी महताब ने इशारा कर हम लोगों को बताया कि यह बाइक सवार वही लड़का है जिसके बारे में हम लोगों ने योजना तैयार की थी। इशारा मिलने पर हम लोग अचानक से वीरेंद्र कुमार के ऊपर टूट पड़े तथा मेरे साथ आए दिलशाद शादाब एवं अरबाज ने वीरेंद्र कुमार को गिराकर मारना पीटना शुरू कर दिया तभी मैंने इशारा किया और हम लोग वीरेंद्र कुमार की मोटरसाइकिल अपाचे सफेद रंग का तथा मोबाइल को अपने साथ लेकर महताब के साथ जल्दी से वहां से निकल गये तथा कुछ दिन बाइक को छुपा कर रखने के बाद आज काफी दिन बीत जाने पर हम लोग बाइक को लेकर बेचने के उद्देश्य से कुछ अज्ञात लोगों के साथ संपर्क कर बताए गए स्थान की तरफ जा रहे थे की तभी बीच रास्ते में आप लोगों ने हमें पकड़ लिये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. दिलशाद पुत्र मोहर अली निवासी ग्राम हंडोर पूरे नाहर थाना लीलापुर प्रतापगढ़।
2. आदिल पुत्र हाफिज ग्राम मुस्तफा खां थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

लूट की 01 मोटर साइकिल अपाचे बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अखिलेश प्रताप मय हमराह उ0नि0 मृत्युंजय पांडेय, आरक्षी आशुतोष तिवारी, आरक्षी किशन पाल, आरक्षी विश्वदीप, मुख्य आरक्षी संजय भारती, आरक्षी धनंजय सिंह, आरक्षी कृष्णकांत थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी-

मोटर साइकिल चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त थाना पट्टी पुलिस की गिरफ्त में-
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी
थाना पट्टी पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र के मुजाही ग्राउण्ड के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
आरोपी द्वारा थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत वादी की ग्राम भुसहर से दिनांक 30/04/25 को रात लगभग 10:30 बजे मोटर साइकिल को चोरी कर लेने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पट्टी में मु0अ0सं0 50/25 धारा 303 (2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा ॅ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह के मार्ग दर्शन व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम/ अंकुश लगाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में थाना पट्टी प्रभारी निरीक्षक श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराह उ0नि0 रोहित यादव, उ0नि0 वीरेन्द्र प्रताप सिंह,का० हरिकेश पाल,का0 केहरी सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग व रात्रि गश्त के दौरान मूखबिर की सूचना पर थाना पट्टी के मु0अ0सं0 125/25 धारा 303 (2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त 1. आनन्द पुत्र मिठ्ठ निवासी औराइन थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को चोरी की 01 मोटर साइकिल के साथ थानाक्षेत्र के मुजाही ग्राउण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317 (2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरणः-
गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैने ग्राम भुसहर से दिनांक 30/04/25 को रात लगभग 10:30 बजे मोटर साइकिल को मेरे द्वारा चुरा लिया गया था जिसे लेकर मैं बेचने हेतु जाने वाला था तभी आप सब लोग मुझे पकड़ लिया लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1.आनन्द पुत्र मिठ्ठ निवासी औराइन थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-
चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराह उ0नि0 रोहित यादव, उ0नि0 वीरेन्द्र प्रताप सिंह,का० हरिकेश पाल,का0 केहरी सिंह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर-

➡ बीट आरक्षियों की सतर्कता से 02 गैंगस्टर गिरफ्तार

➡थाना कोतवाली नगर के आरक्षियों ने गैंगस्टर के अभियुक्तों पर कसा शिकंजा

➡आरक्षी योगेश यादव व आरक्षी अनिल यादव ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

➡एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना कोतवाली गनर के आरक्षी योगेश यादव व आरक्षी अनिल यादव को दिया जाएगा प्रशस्ति-पत्र

➡थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत भिन्न-भिन्न स्थानों से गैंगस्टर 1- सुनील रजक उर्फ सोनू, 2- सूरज पाल उर्फ सुरेश उर्फ सूर्यपाल गिरफ्तार

➡गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्तों पर चोरी व गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।
इसी क्रम में बहादुर आरक्षी योगेश यादव व आरक्षी अनिल यादव के सहयोग से थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 190/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में 02 वांछित अभियुक्त 1. सुनील रजक उर्फ सोनू पुत्र लालता प्रसाद निवासी बिबिया करनपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़, 2- सूरज पाल उर्फ सुरेश उर्फ सूर्यपाल पुत्र रामकिशुन निवासी तांतो थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर को भिन्न-भिन्न स्थानों से गिरफ्तार किये गये।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. सुनील रजक उर्फ सोनू पुत्र लालता प्रसाद निवासी बिबिया करनपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।
2- सूरज पाल उर्फ सुरेश उर्फ सूर्यपाल पुत्र रामकिशुन निवासी तांतो थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-
1. सुनील रजक उर्फ सोनू पुत्र लालता प्रसाद निवासी बिबिया करनपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
1- मु०अ०सं० 295/23 धारा 379/411 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
2- मु०अ०सं०296/23 धारा 379/411 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
3- मु०अ०सं० 299/23 धारा 379/411/413/420/467/468/471 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
4- मु०अ०सं० 482/23 धारा 379/411 भादवि थाना को0नगर जनपद प्रतापगढ़।
5- मु0अ0सं0 190/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986

2- सूरज पाल उर्फ सुरेश उर्फ सूर्यपाल पुत्र रामकिशुन निवासी तांतो थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर।
1- मु०अ०सं० 149/21 धारा 379/411 भादवि थाना मुंगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर।
2- मु०अ०सं० 295/23 धारा 379/411 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
3-मु०अ०सं०296/23 धारा 379/411 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
4-मु०अ०सं० 299/23 धारा 379/411/413/420/467/468/471 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
5- मु०अ०सं० 482/23 धारा 379/411 भादवि थाना को0नगर जनपद प्रतापगढ़।
6- मु0अ0सं0 190/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986